UPSC MAINS · ANSWER PRACTICE

Polity & Governance · GS - II

भारत में विधान परिषदों के

संवैधानिक ढाँचे और महत्त्व का
परीक्षण कीजिए। इनके कामकाज से

संबंधित प्रमुख चिंताओं पर भी

चर्चा कीजिए।

EXAM YEAR

DAILY PRACTICE 23/10/2026

PAPER

GS - II

SUBJECT

Polity & Governance

MARKS

10

WORD LIMIT

~150 words

Answer Hint

द्विसदनीय विधायिका , अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 171, अप्रत्यक्ष
चुनाव , स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व , विधायी समीक्षा ,
राजनीतिक पुनर्वास , जवाबदेही , संघवाद।

Model Answer

भूमिका :

भारत में संसद के अतिरिक्त कुछ राज्यों में भी द्विसदनीय विधायिका
की व्यवस्था है, जिसमें विधानसभा के साथ विधान परिषद भी होती है।

संवैधानिक ढाँचा :

1. अनुच्छेद 169: राज्य विधानसभा के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित
होने के बाद संसद विधान परिषद के गठन या समाप्ति का कानून बना
सकती है।
2. अनुच्छेद 171: विधान परिषद की संरचना निर्धारित करता है। इसमें
स्थानीय निकायों , स्नातकों , शिक्षकों और विधायकों द्वारा

www.becomeias.com YouTube: becomIAS | Instagram: howtobecomeias

निर्वाचित तथा राज्यपाल द्वारा नामित
सदस्य शामिल होते हैं।
3. सदस्य संख्या : सामान्यतः विधानसभा की
सदस्य संख्या के एक -तिहाई से अधिक नहीं
और कम -से -कम 40 सदस्य।

महत्त्व :

1. विधेयकों की समीक्षा और उनमें सुधार।
2. स्थानीय निकायों तथा विशिष्ट वर्गों का
प्रतिनिधित्व।
3. अनुभवी व्यक्तियों की नीति -निर्माण में
भागीदारी।

प्रमुख चिंताएँ :

1. सार्वजनिक धन पर अतिरिक्त बोझ।
2. राजनीतिक नियुक्तियों और दलगत अवरोध की
आशंका।
3. विधानसभा की तुलना में सीमित शक्तियाँ।

निष्कर्ष :

विधान परिषदें तभी उपयोगी हैं जब वे
स्वतंत्र समीक्षा , गंभीर चर्चा और जवाबदेही
को बढ़ावा दें।

www.becomeias.com YouTube: becomIAS | Instagram: howtobecomeias